<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एवरशार्प नाइव्स प्रा0 लि0, बी-2सी / 2बी, नियर भारती कालेज, जनकपुरी, नई दिल्ली।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**66 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-66 / 11, दिनांक 18.07.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **Industrial Knives & Cutting Blades** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री अनुपम कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में Industrial Knives & Cutting Blades के निर्माण करने की फैक्टरी लगाया जाना प्रस्तावित है। अवगत कराया कि उनके द्वारा निर्मित Industrial Knives & Cutting Blades एक प्रकार से टूल्स हैं तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत टूल्स वर्गीकृत हैं जिसके अन्तर्गत उनका उत्पाद आना चाहिए। यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी एच0 एस0 एन0 कोड संख्या-82080000 के अन्तर्गत Knives & Cutting Blades को सम्मिलित भी किया गया है। अवगत कराया कि वाणिज्य कर विभाग में एच0 एस0 एन0 कोड को केन्द्रीय उत्पाद एक्ट से लिया गया है तथा केन्द्रीय उत्पाद एक्ट के अन्तर्गत भी Knives & Cutting Blades को टूल्स के अन्तर्गत मानते हुए क्रमांक-8208 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। वास्तव में वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी एच0 एस0 एन0 कोड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी एच0 एस0 एन0 कोड एक समान है अतः उनके द्वारा निर्मित Industrial Knives & Cutting Blades एक प्रकार के टूल्स हैं तथा इन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत करदेयता होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 निम्नवत है :-

123	Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि Industrial Knives & Cutting Blades एक प्रकार का टूल है परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत उक्त टूल्स नहीं आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत केवल वही टूल्स, आरी व कन्नी को सम्मिलित किया गया है जो बढ़ई तथा राजगीर द्वारा प्रयोग में लाये जाते

......2

हैं । विधायिका का उद्देश्य उक्त प्रविष्टि में सभी प्रकार के टूल्स को सम्मिलित किया जाना नहीं था अन्यथा बढ़ई तथा राजगीर द्वारा प्रयोग किये जाने वाली आरी, कन्नी व टूल्स न लिखा गया होता । व्यापारी द्वारा जिन Tools (Industrial Knives & Cutting Blades) का निर्माण किया जाता है उनका उपयोग बढ़ई और राजगीर द्वारा नहीं किया जाता है । अत: Industrial Knives & Cutting Blades उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत नहीं आते हैं । चूँकि Industrial Knives & Cutting Blades उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 व 4 किसी में भी वर्गीकृत नहीं है । अत: **Industrial Knives & Cutting Blades** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 5 अगस्त, 2011

ह0 / 05.08.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।